कमलेश **बनाम** मलकीत सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 28 सन् 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/65

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.03.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया गया है कि राजस्व ग्राम 58 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 19/18 में अप्रार्थी संख्या 1 मलकीत सिंह के नाम दर्ज 0.948 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी है। प्रार्थिया कोपार्सनरी सदस्य नहीं है। इसलिए प्रार्थिया, अप्रार्थी संख्या 1 के दादा व पिता की सम्पति से हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज फरमाया जावे। लिहाजा हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होते है। प्रार्थिया/वादिया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता हैं। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	